

कार्यालय :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

:: कार्यालय आदेश ::

क्रमांक : 57

दिनांक : 08/3/26

मैं एम. आर. सुथार, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 151 दिनांक 13.06.2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 8(8) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालोतरा न्यायक्षेत्र के सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीशों/विशिष्ट न्यायाधीश के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर अथवा अन्य किसी कारण से मुख्यालय से बाहर रहने अथवा पद रिक्त रहने पर उनके न्यायालय के आवश्यक आपराधिक कार्य के निष्पादन हेतु निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ।

इसी प्रकार इस न्यायक्षेत्र के जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों का उनकी अनुपस्थिति में आवश्यक दीवानी कार्य व दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु भी निम्नलिखित पीठासीन अधिकारीगण को प्राधिकृत करता हूँ :-

क्र. सं.	अनुपस्थित अधिकारी का पद	आवश्यक कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत अधिकारी
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा, इनकी अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालोतरा (केवल आपराधिक कार्य), इन दोनों की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा, इन तीनों की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.-01, बालोतरा तथा इन सभी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.-02, बालोतरा।
2.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा	जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा, इनकी अनुपस्थिति में, विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालोतरा (केवल आपराधिक कार्य) इन दोनों की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा, इन तीनों की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.-01, बालोतरा तथा इन सभी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.-02, बालोतरा।

—सही—

(एम. आर. सुथार)

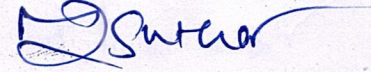
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बालोतरा

क्रमांक : 1572-1584

दिनांक: 07/12/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, बालोतरा।
2. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा।
3. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा।
4. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं.-01/02, बालोतरा।
5. अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, बालोतरा।
6. अध्यक्ष, अभिभाषण संघ, सिवाना/पचपदरा/सिणधरी।
7. रीडर ग्रेड-I, न्यायालय हाजा।
8. सिस्टम अधिकारी, कार्यालय हाजा को निर्देश दिये जाते हैं कि इस आदेश की प्रति इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावे।
9. रक्षित पत्रावली।



जिला एवं सेशन न्यायाधीश
बालोतरा